पत्र सं0-स0द0-परिपत्र / 1455 /1415079 / वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर , वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(सचलदल अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 01, अक्टूबर २०१४

समस्त

जोनल एडीशनल कमिश्नर /

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-२ (वि0अनु0शा0) /

ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) / (कार्यपालक)/

असिस्टेन्ट कमिश्नर ,सचल दल / कर निर्धारण ,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

प्रवर्तन मैनुअल (वि0अनु0शा0/सचलदल) के अध्याय -१० के प्रस्तर २ (३) मे यह व्यवस्था दी गई है कि करापवंचन का संदेह होने पर अथवा अभिलेखों में प्रथमदृष्टया अनियमितता पाये जाने पर संबंधित वाहन को कार्यालय परिसर में लाने के उपरान्त अविलम्ब वाहन को रोके जाने से संबंधित कारणों का उल्लेख करते हुये डिटेन्शन मेमो जॉच अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा ।

वाहनों की जॉच के संबंध में विभिन्न व्यापारिक संगठनों द्वारा समय-समय पर उत्पीड़न एवं पारदर्शिता के अभाव आदि की शिकायतें की गयी हैं । डिटेन्शन की कार्यवाही में पारदर्शिता के उद्देश्य से डिटेन्शन मेमो पर विभागीय सर्वर से SMS के द्वारा छः डिजिट का ***डिटेन्शन नंबर*** प्राप्त कर अंकित किये जाने की व्यवस्था की गई है । यह व्यवस्था निम्नानुसार प्रयोग की जायेगी :-

1. वाहन रोके जाने पर संबंधित असिस्टेन्ट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी द्वारा अपने CUG नंबर से मोबाइल नंबर 9935901889 पर निम्न Syntax के अनुसार मेसेज Send किया जाएगा ।

ctxup<space>DET<space><Vehicle Number><space><Code of reason of detainment >

2. ' Reason of Detainment ' का कोड निम्नानुसार है :-

Code No	Description of detainment
1	for unaccompanied by Form 38 / E Sancharan No
2	for unaccompanied by TDF for through goods
3	for goods other than declared in Form 38 / E Sancharan No / TDF
4	for Goods unaccompanied by Form 21
5	for Goods unaccompanied by Tax invoice / Sales invoice / Bill
6	for Undervalued goods
7	for goods not traced to bonafide dealer
8	for Any Other Reason

ms

' Reason of Detainment ' का कोड HELP SMS के माध्यम से उपर्युक्त मोबाइल नंबर पर निम्न Syntax को SEND करके प्राप्त किया जा सकेगा ।

ctxup<space>DET<space><HELP >

3. उपर्युक्त बिन्दु सं0-१ के अनुसार SMS भेजने पर संबंधित अधिकारी के मोबाइल पर छः डिजिट का डिटेन्शन नम्बर प्राप्त होगा जिसे डिटेन्शन मेंमो के शीर्ष भाग में पृष्ठ के मध्य (बीचोबीच) में मूल एवं द्वितीय प्रति पर निम्न प्रकार अंकित किया जाएगा :-

डिटेन्शन नम्बर ------------------

4. पंजी-५ की आनलाइन इन्ट्री के समय डिटेन्शन नंबर डालने के उपरान्त ही प्रविष्टि की जा सकेगी ।
5. यदि किसी कारण से डिटेन्शन नंबर SMS से प्राप्त नही होता है तो दोबारा SMS कर प्राप्त किया जा सकता है।
6. डिटेन्शन मेमो पूर्ववत् जिल्दबंद एवं क्रमांकित डिटेन्शन मेमो बुक से ही जारी किया जाएगा ।
7. उदाहरण के तौर पर अगर वाहन संख्या up32xy1086 बिना फार्म ३८ अथवा ई संचरण के माल आयात करता हुआ पाया जाता है तो उपर्युक्त बिन्दु -१ के अनुसार डिटेन्शन नम्बर प्राप्त करने हेतु SMS निम्न प्रकार से भेजा जाएगा :-

ctxup<space>DET<space>< up32xy1086 ><space>< 1 >

SMS के माध्यम से Detention Number प्राप्त कर प्रयोग करने की कार्यवाही वर्तमान में वैकल्पिक रुप से तथा दिनांक ०१-०११-२०१४ से अनिवार्य रुप से की जाएगी ।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर ,
उ0प्र0 , लखनऊ ।